बिहार विधान सभा के चालू सत्र के लिए ध्यानाकर्षण सूचना

श्री अब्दुल गफूर, मा0 स0वि0स0 से दि0–12.03.2013 के लिए प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना

" सुपौल जिला अन्तर्गत किशनपुर प्रखंड में बाढ़ के समय सरकारी आदेश से बहाल नाव एवं नाविक का भाड़ा एवं मजदूरी वर्ष 1987 से 1995 तक का नहीं मिलने से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–18799 में दिनांक–08.11.2011 को पारित आदेश के आलोक में नाव मालिकों का नाव भाड़ा एवं नाविको की दैनिक मजदूरी का भुगतान करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ"

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का दिनांक –12.03.2013 को दिया जाने वाला वक्तव्य :–

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–18799 में दि0–08.11.2011 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयुंक्त, कोशी प्रमण्डल को निदेश दिया गया है कि वर्ष 1988–89 से 2001–02 के बीच गैर सरकारी नाव–नाविकों का यदि बकाया भुगतान नहीं हुआ हो तो वे इस संबंध में उनसे प्राप्त अभ्यावेदन का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र करें ।आयुक्त, कोशी प्रमण्डल को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अभ्यावेदन का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र करने का निदेश दिया गया है ।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0स0ध्याना0–41 / 2013 / ..... / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक –248 दिनांक –11.03.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04 / वि0स0ध्याना0–41 / 2013 / 1284 / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 2/4/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

2/4/13
सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\Dhyanakarshan 11-03-2013.docx